भाग – IV

[माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम]

[19]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

[1](2017 का अधिनियम संख्यांक 15)

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसरण में माल और सेवा कर क्रियान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों हेतु प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ। (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।